दांडिक अपील संख्या– 42/2023
मैनादेवी बनाम स्टेट वगैरा

दांडिक अपील संख्या– 43/2023
नवीश उर्फ नीशू वगै. बनाम स्टेट वगैरा
निर्णय दिनांक:–06–07–2026

न्यायालय:– अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–01, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी – दीपक पाराशर, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
दांडिक अपील संख्या –42/2023
सी.आई.एस.नं. –88/2023
सी.एन.आर. नं. –RJHG010021182023

मैनादेवी पत्नि स्व. बृजमोहन निवासी सैक्टर नंम्बर–3, वार्ड नम्बर 36 हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये लोक अभियोजक, हनुमानगढ़।

2. नवीश उर्फ नीशू पुत्र श्री अशोक कुमार निवासी मकान नम्बर 114, सैक्टर नम्बर 3. हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3. विकास उर्फ विक्की पुत्र श्री अशोक कुमार निवासी मकान नम्बर 114, सैक्टर नम्बर 3. हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–रेस्पोडेंट

दांडिक अपील संख्या –43/2023
सी.आई.एस.नं. –86/2023
सी.एन.आर. नं. –RJHG010021052023

1. नवीश उर्फ नीशू पुत्र श्री अशोक कुमार निवासी मकान नम्बर 114, सैक्टर नम्बर 3. हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2. विकास उर्फ विक्की पुत्र श्री अशोक कुमार निवासी मकान नम्बर 114, सैक्टर नम्बर 3. हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये लोक अभियोजक, हनुमानगढ़।

2. मैनादेवी पत्नि स्व. बृजमोहन निवासी सैक्टर नंम्बर–3, वार्ड नम्बर 36 हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व दण्डादेश दिनांक 17.10.2023
नं.फौ.प्र.सं.–332/2023, सरकार बनाम नवीश उर्फ नीशू आदि
अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़,
द्वारा सुश्री सीमा रानी, आर.जे.एस.

उपस्थित:–

1– श्री सुखवीर सिंह भाम्भू– अधिवक्ता मैनादेवी की ओर से।

2– श्री अरविन्द बिश्नोई– अधिवक्ता नवीश उर्फ नीशू व विकास उर्फ विक्की की ओर से।

3– अपर लोक अभियोजक–राज्य की ओर से

– निर्णय– दिनांक–06.07.2026

1– उक्त दोनों ही अपीले अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ द्वारा उक्त प्रकरण में पारित एक ही निर्णय व दण्डादेश दिनांक 17.10.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत होने से दोनों अपीलों का निस्तारण समय व सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 02.01.2019 को परिवादिया मैना देवी ने सरकारी अस्पताल, हनुमानगढ़ टाउन में इलाज के दौरान थानाधिकारी, पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाऊन को सम्बोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र का आशय का प्रस्तुत किया कि आज 02–01–2020 को शाम चार बजे के करीब 2 हनुमानगढ़ की दुकान पर गई, तब मिस्त्री कार्य कर रहे थे। तब मना किया तो अग्रवाल पुस्तक भण्डार से उसके देवर के लड़के नीश, विक्की व नौकरों ने ईन्टों, डण्डों से उसे मारा। नीशू ने छाती पर हाथ मारा व उसके हाथ से मोबाईल भी लेकर जमीन पर गिरा दिया व गन्दी गालियां निकाली और जान से मारने की धमकी दी। पहले भी एसडीएम कोर्ट से जमानत हो रखी है। पूरा बाजार वहां पर मौजूद था और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी ली जाए। उसे अगर कुछ हो जाए तो अग्रवाल पुस्तक भण्डार जिम्मेवार होगा। नीशू ने कहा कि सात महीने रोटी खाई है, आज मौत देंगे.....आदि–आदि। जिस पर पुलिस थाना हनुमानगढ टाउन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 04/2020 दर्ज की जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण नवीश उर्फ नीशू व विकास उर्फ विक्की धारा 341, 323, 504 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

3– विचारण न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्तगण नवीश उर्फ नीशू व विकास उर्फ विक्की को धारा 341, 323, 504 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. में आरोप सारांश सुनाये जाकर साक्ष्य अभियोजन में गवाह पी. डब्ल्यू. 1 मैना देवी, पी डब्ल्यू 2 प्रतीक, पी डब्ल्यू 3 बजरंगलाल, पी डब्ल्यू 4 रामकुमार, पी डब्ल्यू 5 डा. विनीत गौतम की साक्ष्य लेखबद्ध कर दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 1, एफआईआर प्रदर्श पी 2, नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 3, हालात मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 3 ए, चोट प्रतिवेदन मैना देवी प्रदर्श पी 4

को प्रदर्शित करवाया जाकर अभियुक्तगण के बयान मुलजिम अंर्तगत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किए जाकर उभय पक्षकारान की बहस सुनने के उपरान्त उक्त अभियुक्तगण को धारा 341, 504 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया गया तथा धारा 323 सपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्ध घोषित किया जाकर अभियुक्तगण को धारा 4 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाकर धारा 5 के तहत एक–एक हजार रूपये अभियोजन व्यय अधिरोपित किया गया,जिसके विरूद्ध परिवादिया मैनादेवी द्वारा अभियुक्तगण को अधिकतम सजा से दण्डित करने और अभियुक्तगण नवीश उर्फ नीशू व विकास उर्फ विक्की द्वारा उन्हें दोषमुक्त करने का निवेदन कर पृथक–पृथक अपीले प्रस्तुत की गयी।

4– मैनादेवी की अपील के संबंध में बहस सुनी गयी। बहस में मैनादेवी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने अपील मीमो के तथ्यों की पुनरावृति करते हुए तर्क दिया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरीत अभियुक्तगण को धारा 341, 504 में दोषसिद्ध करने के साक्ष्य होने के बावजूद भी उन्हें उक्त धाराओं में दोषमुक्त करने में विधिक भूल कारित की है। मुलजिमान द्वारा अपने बचाव में जो कहानी गढी है उससे भी स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा सम्पत्ति विवाद के रंजिशवश मैनादेवी का स्वेच्छया सदोष अवरोध कारित कर लोकशांति भंग कराने को प्रकोपित कराने के आशय से मारपीट की है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व दण्डादेश को आपास्त कर अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के साथ धारा 341, 504 में भी दोषसिद्ध घोषित कर अधिकतम सजा से दण्डादिष्ट किया जावे।

5– जिसका विरोध करते हुए एवं अभियुक्तगण नवीश उर्फ नीशू व विकास उर्फ विक्की द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तर्क दिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 504 की हद तक सही विवेचन कर निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी मैनादेवी को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। धारा 323 भा.दं.सं. के संबंध में विचारण न्यायालय का निष्कर्ष पूर्णतया विधि विरूद्ध है। मैनादेवी के अतिरिक्त अन्य कोई गवाह अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं कर रहा है। मैनादेवी के चोट प्रतिवेदन में उसके शरीर पर किसी भी तरह की कोई चोट के निशान नहीं पाये गये जिस कारण डण्डों से मारपीट किया जाना साबित नहीं हो रहा है। किसी हथियार की बरामदगी नहीं हुई है। मैनादेवी के बताये अनुसार सीसीटीवी की कोई फुटैज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है। सम्पत्ति को लेकर मुकदमे चलना उन्होंने अपनी साक्ष्य से साबित करवाया है जिसके रंजिशवश मैनादेवी के द्वारा यह झूठा मुकदमा मात्र दबाव बनाने के आशय से दर्ज करवाया गया है। उनके विरूद्ध कोई साक्ष्य मौजूद नहीं होने के बावजूद भी विचारण न्यायालय ने उन्हें धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध घोषित करने में पूर्णतया विधिक भूल की है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व दण्डादेश को आपस्त कर उन्हें पूर्णतया दोषमुक्त घोषित किया

जावे।

6– मेरे द्वारा उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः–

''आया विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 17.10.2023 पत्रावली पर आयी साक्ष्य के सवर्था अनुकूल होने तथा तथ्य व विधि के अनुकूल होने से पुष्ट किये जाने योग्य है अथवा नहीं ? ''

इस संबंध में यदि विचारण न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जावे तो विचारण न्यायालय के समक्ष मैनादेवी द्वारा पर्चा एफआईआर प्रदर्श पी 1 जिसके आधार पर चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2 दर्ज हुई से प्रकरण का उद्भव हुआ है। मैनादेवी पी.ड. 1 के रूप में परीक्षित हुई जिसने व अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किसी भी साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष हुए सशपथ कथनों में कही पर भी यह अभिकथन नहीं किया है कि मुलजिमान द्वारा उसका स्वेच्छया उस दिशा में जिसमें उसे जाने का अधिकार था में जाने से स्वेच्छया निवारित कर उसका स्वेच्छया सदोष अवरोध कारित किया गया हो। पी.ड. 1 मैनादेवी द्वारा न्यायालय के समक्ष सशपथ कथनों में दिनांक 02.01.2020 को दिन के करीब 4 बजे उसके साथ गंदी गंदी गालियां निकालने और फिर निशु विक्की दुकान के तीन नौकर आकर उसके साथ ईंटों व पत्थरों से मारपीट कर उसके पैरों व कंधों पर पत्थर मारने और उसके द्वारा अपने बेटे को फोन करने पर उसका फोन छीनकर नाली में पटककर तोडने व फोस व गंदी गालियां निकालने, डण्डे से मारने, निशु द्वारा उसके कपडे फाडने, उसकी छाती खींच देने और मुंह पर नाखुन मारने, निशु व विक्की द्वारा उसे थप्पड मुक्के मारने व उसे धक्का देने, जिससे उसके बेहोश होने का कथन करने के साथ साथ उसके पुत्र प्रतीक के आने पर मारपीट करने वाले अपने दुकान में भाग गये का कथन करते हुए मुकदमा दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 1 जिसके आधार पर चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2, घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 बनवाने जिन पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होने का कथन किया है।

जिरह में इस गवाह की साक्ष्य मुलजिमान द्वारा मारपीट करने की हद तक पूर्णतया अखण्डनीय रही है। जिरह में इस गवाह द्वारा निशु व विक्की उसके देवर अशोक के बेटे होने, प्रदर्श पी 1 उसके बेटे बजरंग द्वारा उसके कहे अनुसार बोल बोलकर लिखवाने का कथन करते हुए प्रार्थना पत्र घटना के अगले दिन लिखवाने का कथन किया है तथा यह भी कथन किया है कि यह कहना गलत है कि उसने यह मुकदमा मिथ्या तथ्यों के आधार पर दर्ज करवाया हो और उसके साथ कोई मारपीट ना हुई हो।

पी.ड. 2 प्रीतक द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में घटना की ताईद की है। परन्तु जिरह में कथन किया है कि घटना के वक्त वह गोदाम गया हुआ था। पी.ड. 3 बजरंगलाल द्वारा भी जिरह में कथन किया गया है कि उसने कोई घटना नहीं देखी, जिस कारण इन दोनों

गवाहान की साक्ष्य से इनके द्वारा घटना देखने साबित नहीं हो रहा है।

आहता के आयी चोटों की पुष्टि उसके चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 4 व पी.ड. 5 डा. विनीत गोतम की साक्ष्य से हो रही है। जिसमें पी.ड. 5 डा. विनीत गोतम द्वारा मैनादेवी के शरीर पर चोट सं. 1 व 2 कुंदाला से कारित होना बतायी है तथा चोट सं. 1 व 2 दांये व बांये घुटने पर दर्द व टेंडरनेस होने का कथन किया है। जिरह में इस गवाह द्वारा कथन किया गया है कि यह कहना सही है कि ईंट या डण्डे से चोट मारी जाये तो जाहिरा चोट आने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस गवाह द्वारा संभावना जाहिर की गयी है।

पी.ड. 4 रामकुमार द्वारा मुकदमा के अनुसंधान करने बाबत साक्ष्य दी है जिसमें किसी भी तरह का कोई विरोधाभास अथवा संदेह उत्पन्न नहीं हो रहा है।

जैसा कि उपर विवेचित किया जा चुका है कि पीडिता स्वयं द्वारा उसके साथ स्वेच्छया सदोष अवरोध कारित करने बाबत कोई कथन ही नहीं किया गया है। न्यायालय के समक्ष हुए उसके सशपथ कथनों में उसके द्वारा फौस गालियां निकालने बाबत कथन किया है, परन्तु लोकशांति भंग कराने के आशय से सआशय प्रकोपित करने की कोई साक्ष्य विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं है। अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात से यह प्रकट हो रहा है कि पक्षकारान के मध्य सम्पत्ति विवाद को लेकर मुकदमे चल रहे हैं। मारपीट किया जाना अभियोजन की साक्ष्य से पूर्णतया साबित हो रहा है जिसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है। मात्र लाठी, डण्डों, ईंटों व हथियारों की बरामदगी नहीं होने, सीसीटीवी फुटेज को प्रस्तुत नहीं होने से समस्त अभियोजन कहानी की सत्यता को झूठलाया नहीं जा सकता। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत एकमात्र पीडिता मैनादेवी की साक्ष्य पूर्णतया विश्वसनीय प्रतीत हो रही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 के अनुसार किसी भी मामले को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। केवल मात्र एक साक्षी की साक्ष्य के आधार पर भी अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया जा सकता है बशर्ते उसकी साक्ष्य विश्वसनीय व अखण्डनीय हो। विचारण न्यायालय के समक्ष पीडिता मैनादेवी की साक्ष्य पूर्णतया अखण्डनीय रही है। उसकी साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

जहां तक मैनादेवी की ओर से प्रस्तुत अपील में अभियुक्तगण को अधिकतम सजा से दण्डित करने का प्रश्न है तो विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को धारा 323 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध कर धारा 4 परीविक्षा अधिनियम का लाभ देते हुए धारा 5 के तहत 1000–1000 रूपये के अभियोजन व्यय से दण्डित किया है जो न्यायालय के विनम्र मत में परीविक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुचित रूप से दण्डित किया गया है। दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 386 के अंतर्गत अपीलीय न्यायालय को निष्कर्ष में परिवर्तन करके या किये बिना दण्ड के स्वरूप या परिणाम में अथवा स्वरूप और परिणाम में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है जिसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा मात्र परिवीक्षा

अधिनियम की धारा 5 के तहत अभियोजन व्यय में 1000–1000/–रूपये के स्थान पर 2000–2000/–रूपये वृद्धि किया जाना सर्वथा न्यायोचित पाया जाता है।

मैनादेवी को उसके द्वारा प्रस्तुत अपील प्रस्तुत करने का अधिकार होने से अभियुक्तगण नवीश उर्फ नीशू वगैरा की ओर से प्रस्तुत अपील के संबंध में अपीलीय न्यायालय के विनम्र मत में विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 323 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध करने के पर्याप्त आधार होने से विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को धारा 323 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध करने का आदेश विधि सम्मत होने से उसके द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

फलतः मैनादेवी द्वारा प्रस्तुत अपील विरूद्ध राजस्थान सरकार वगैरा आंशिक रूप से प्रतिकर वृद्धि की हद तक स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय व दण्डादेश में मात्र परीविक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत 2000–2000/–रूपये अभियोजन व्यय अधिरोपित करने की हद तक स्वीकार की जाती है व शेष अपील अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 17.10.2023 पत्रावली पर आई साक्ष्य के सर्वथा अनुकूल होने एवं तथ्य व विधि के अनुकूल होने से धारा 5 परिवीक्षा अधिनियम के तहत अधिरोपित प्रतकर को छोडकर शेष दण्डादेश की हद तक पुष्ट किए जाने योग्य है और अपीलांट नवीश उर्फ नीशू आदि द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

–आदेश–

7– अतः 1. नवीश उर्फ नीशू पुत्र श्री अशोक कुमार निवासी मकान नम्बर 114, सैक्टर नम्बर 3. हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़। 2. विकास उर्फ विक्की पुत्र श्री अशोक कुमार निवासी मकान नम्बर 114, सैक्टर नम्बर 3. हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत अपील विरूद्ध राजस्थान राज्य अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है और मैनादेवी द्वारा प्रस्तुत अपील विरूद्ध राजस्थान राज्य व अन्य आंशिक रूप से प्रतिकर में वृद्धि की हद तक स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 17.10.2023 पत्रावली पर आई साक्ष्य के सर्वथा अनुकूल होने एवं तथ्य व विधि के अनुकूल होने से पुष्ट किया जाकर अपीलांट/अभियुक्तगण नवीश उर्फ नीशू व विकास उर्फ विक्की को धारा 323 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित दंडादेश में संशोधन करते हुए अभियुक्तगण पर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक–एक हजार रूपये के स्थान पर दो–दो हजार रूपये अभियोजन व्यय अधिरोपित किया जाता है। उक्त अभियुक्तगण आदेश की दिनांक से 15 दिवस के भीतर उक्त अभियोजन राशि विद्वान विचारण न्यायालय में जमा करावे। राशि जमा होने

पर 3500/– रूपये परिवादिया/पीडिता मैनादेवी को प्रतिकर स्वरूप अदा किये जावे। अभियुक्तगण की नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। पूर्व में यदि कोई राशि जमा है तो वह इसमें समयोजित की जावे।

(दीपक पाराशर)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–01
हनुमानगढ़

निर्णय आज दिनांक 06.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीपक पाराशर)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–01
हनुमानगढ

नोट–मूल से मिलान किया गया।

RAMIT LEKHRA
Digitally signed by RAMIT LEKHRA
Date: 2026.07.07 16:48:05 +0000